प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक-27 मार्च, 2018**

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वामपंथी उग्रवाद से ग्रस्त क्षेत्र में मार्ग सम्पर्कता परियोजना (आर0सी0पी0एल0डब्ल्यू0ई0ए0) हेतु प्रशासनिक मद में भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 17.775 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत मैचिंग राज्यांश रू0 11.85 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के पत्र सं0-4724/20/एफ-32/यूपीआरआरडीए/2013 दिनांक-20.03.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उप सचिव (आर0सी0), ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण सम्पर्कता प्रभाग), भारत सरकार के पत्र सं0-पी-17024/26/2017-आर0सी0 (पार्ट-1) (एफटीएस नं0-360599), दिनांक-09.03.2018 की प्रति उपलब्ध कराते हुए शासनादेश संख्या-6/2018/पी-164/अड़तीस-9-2018-01(बजट)/2017टी0सी0 दिनांक-14.03.2018 द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लेफ्ट एक्सट्रीमिस्म एरिया (आर0सी0पी0एल0डब्ल्यू0ई0ए0) में मार्ग सम्पर्कता परियोजना हेतु प्रशासनिक मद में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 17.775 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत मैचिंग राज्यांश रू0 11.85 लाख (रूपये ग्यारह लाख पच्चासी हजार मात्र) को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक मद में भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 17.775 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत मैचिंग राज्यांश रू0 11.85 लाख (रूपये ग्यारह लाख पच्चासी हजार मात्र) को आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0 आदि में नहीं रखा जायेगा।

(2)- धनराशि जिन मदों में वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मदों में ही किया जायेगा, अन्य किसी मद में किया गया व्यय अनुमन्य न होगा।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करते हुए आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे भी निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा किया जायेगा।

(5)- स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्गत दिशा निर्देशों व केन्द्रांश अवमुक्त पत्र में उल्लिखित शर्तों व शासन के संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- व्यय धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार/महालेखाकार/शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7)- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 व शासनादेश संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक-20.11.2017 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8)- उक्त धनराशि को एक मुश्त आहरित कर उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के नाम से स्टैट बैंक, जवाहर भवन लखनऊ में खुले बचत खाता संख्या-10616665816 में तत्काल जमा किया जायेगा।

(9)- स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर किसी ऐसे खाते में जमा की जाती है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण का होगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-02-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पी0एम0 जी0एस0वाई0)-0201-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक-20.11.2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-395/दस-2018, दिनांक-27 मार्च, 2018 द्वारा दी गयी सहमति के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

<u>संख्या-9/2018/पी-193(1)/अड़तीस-9-2018, तद दिनांक।</u>

<u>प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबा**द।**
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- डा0 सुरभि राय, उप सचिव (आर0सी0), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कक्ष सं0-369, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
5- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
10- निदेशक, बजट/विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
11- गार्डबुक।

आज्ञा से,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।